न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/3/2022

वउनवान

1. लालाराम पुत्र करण जाति माली निवासी कारोली तहसील कठूमर।

प्रार्थी

बनाम

1. प्रकाश पुत्र करणसिंह जाति माली निवासी कारोली तहसील कठूमर
2. अतरसिंह पुत्र कमलसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
3. जवानसिंह पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
4. धनीराम पुत्र जगनी जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
5. नाहरसिंह पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
6. भूरया उर्फ भूरीसिंह पुत्र कमल जाति जाट निवासी कारोली
7. भीमसिंह पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
8. राजाराम पुत्र कमल जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
9. विजयसिंह पुत्र कमल जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
10. केहरी पुत्र हरचन्दी जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
11. ओमप्रकाश पुत्र प्यारे जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
12. मीना पुत्री रामखिलारीं पत्नी महावीर जाति जाट निवासी कारोली हाल वासी भटावली तहसील कुम्हेर।
13. बलवीर पुत्र प्यारे जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
14. सुमन्त्रा पुत्री रामखिलाडी पत्नी रणधीर जाति जाट निवासी कारोली हाल बांसी भटावली ।
15. ओम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
16. गजेन्द्र पुत्र करणसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
17. धनश्याम पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
18. चन्दा पत्नी करणसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर

ड अधिकारी
(अलवर) राज०

19. जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
20. कलुआ पुत्र जोहरीसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
21. मनोज पुत्र जोहरीसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
22. महेश पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
23. दीनो पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
24. भगवानसिंह पुत्र किशन जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
25. मनीशी पुत्री तेजसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील भरतपुर
26. महावीर पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
27. रतन पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
28. राजेन्द्रसिंह पुत्र करणसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
29. रामचरणलाल पुत्र चिरंजी जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
30. लज्जा पुत्री रामखिलाडी पत्नी जग्गो जाति जाट निवासी कारोली हाल बासी बछामदी तहसील भरतपुर
31. सत्यवेन्द्र सिंह पुत्र करणसिंह जाति जाट निवासी कारोली
32. सुरेन्द्रसिंह पुत्र करणसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
33. सीया पुत्री रामखिलाडी पत्नी अमरचन्द जाति जाट निवासी कारोली हालवासी बरामदी तहसील भरतपुर
34. हरवेन्द्रसिंह पुत्र करणसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
35. अतरसिंह पुत्र कमल जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
36. राजेश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
37. देशराज पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
38. रमेश पुत्र प्रतिभान जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
39. रूपनलाल पुत्र डालचन्द जाति माली निवासी कारोली तहसील कठूमर
40. धनीराम पुत्र डालचन्द जाति माली निवासी कारोली तहसील कठूमर
41. वीरसिंह पुत्र हिम्मत जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
42. कल्ला पुत्र हिम्मत जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर

धिकारी
र) राज०

43. नवाबसिंह पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
44. पूरनसिंह पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
45. बलवीर पुत्र हिम्मतसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
46. राकेश पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
47. वीरसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति जाट निवासी कारोली तहसील कठूमर
48. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर

अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी एक्ट

उपस्थित– श्री फतेहसिंह सैनी अधिवक्ता –प्रार्थी

श्रीगिरधारीलालशर्मा अधिवक्ता–अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ला0 38 एवं 40 ला047

श्री पुरूषोत्तम अवस्थी अधिवक्ता –अप्रार्थी सं0 1 व 39

आदेश दिनांक 28/07/23

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 160 ग्राम कारोली तहसील कठूमर में स्थित है। जिस आराजी के आवागमन के लिये रास्ता गांव में डाले हुये सी सी रोड से तरफ उत्तर को कदीम कायम एंव जारी है जो रास्ता मौके पर कायम है। आराजी खसरा नम्बर 262, 201, 202, 204, 176, 179, 161 की पश्चिमी डौल के सहारे सहारे 5 फुट व आराजी खसरा नम्बर 263, 200, 198, 197, 196, 195, 180, 181 की पूर्वी डौल के सहारे सहारे 5 फुट यानि कुल 10 फुट चौडाई में कदीम रास्ता कायम एंव जारी है। जिस रास्ता को प्रार्थी व अप्रार्थीयान अपने अपने खेतों के लिये आने जाने के काम में लेते चले आ रहे है। सी सी खरंजा से तरफ उत्तर को 10 फुट चौडाई में प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 160 वाके कारोली के लिये 10 फुट चौडाई में रास्ता कदीम कायम एंव जारी है तथा मौके पर रास्ता बना हुआ है जिस रास्ता को प्रार्थी व अप्रार्थीयान अपने अपने खेतों के लिये आवागमन के लिये पूर्वजों के समय से हीउपयोग एंव उपभोंग में लेते चले आ रहे है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व

...अधिकारी
(अलवर) राज०

रेकार्ड में दर्ज नही होने के काण अप्रार्थीयान अव उक्त रास्ता बरंग सुर्ख वहरफ ए बी सी डी को बन्द कर रास्ता के उपयोग में बाधा पैदा करना चाहते है। प्रार्थी के खेत को आंने जाने के रास्ता को रोक देते है। उक्त रास्ता को जोत कर अपने खेतों में मिलाने की धमकी देते हैं। प्रार्थी को अपंनी आराजी खसरा नम्बर 160 वाके कारोली के लिये कायम रास्ता बरंग सुर्ख रास्ता वहरफ ए बी सी डी के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर नहीं है जिस कारण उक्त बरंग सुर्ख रास्ता ए बी सी डी के लिये अप्रार्थीयान की आराजी खसरा नम्बर 262, 201, 202, 204, 176, 179, 161 में से 1229 बाई 5 फुट तरफ पि चमी डौल के संहारे संहारे व आराजी खसरा नम्बर 263, 200, 198, 197, 196, 195, 180, 181 में से 1101 बाई 5 फुट पूर्वी डौल के सहारे सहारे 5 रास्ता के लिये भूमि आरक्षित/अवाप्त कर राजस्व रेकार्ड में रास्ता का अंकन किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 व 39 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुये ईकवाल जवाव पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार को किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी सं0 2 ला0 38 व 40ला0 47 ने जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नम्बर 160 ग्राम कारोली तहसील कठूमर में है या नहीं उक्त आराजी के लिये आवागमन का रास्ता गांव में डले हुये सी सी रोड तरफ उत्तर को कायम एंव जारी नही है बल्कि गांव की आबादी तक ही है आगे कोई सी सी नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 262, 201, 202, 204, 176, 179, 161 की पश्चिमी डौल के सहारे सहारे 5 फुट व आराजी खसरा नम्बर 263, 200, 198, 197, 196, 195, 180, 181 की पूर्वी डौल के सहारे सहारे 5 फुट यानि कुल 10 फुट चौडाई में कदीम रास्ता कायम एंव जारी नहीं है। मौके पर है ही नही तो रास्ता का प्रार्थी के उपयोग एंव उपभोग में बाधा डालने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सीसी खरंजा गांव की आबादी में ही बन्द हो जाता है उसके वाद कृषि भूमि है जिसके तरफ उत्तर में 10 फुट चौडाई में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 160 के लिये मौके पर रास्ता कायम एंव जारी नहीं है। अप्रार्थीयान द्वारा कोई रास्ता बन्द नहीं किया गया है।

ड अधिकारी
(अलवर) राज

प्रार्थी ने रास्ता को कदीमी बताया है यदि रास्ता कदीमी है तो प्रार्थी को तहसीलदार कठूमर के यहां प्रार्थना पत्र पेश कर कदीमी रास्ता को खुलवाने की कार्यवाही करनी चाहिए। खसरा नम्बर 160 पर आने जाने के लिये गांव मसारी की तरफ से रेकार्डेड रास्ता है प्रार्थी के खेत उसी रास्ता से लगते है। धारा 251 क के तहत जव आराजी पर आने जों का कोई बेकल्पिक रास्ता ही नही है तो ही इस प्रावधान के तहत रास्ता दिलाये जाने का कानून है जवकि प्रार्थी की आराजी को आने जाने का रास्ता मौके कायम एंव जारी है। प्रार्थी को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं हो रही हे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेन्टनेविल नहीं है खारिज किया जावे।

दौराने सुनवाई प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में सुविधा के लिये उप तहसीलदार खेरलीमण्डी को मौका कमि नर नियुक्त कर मौके की निरीक्षण रिपोर्ट तलव करने का प्रार्थना पत्र पेश कि जो स्वीकार किया जाकर प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार कठूमर से मौका की विस्तृत वस्तुस्थति की रिपोर्ट तलव की गयी। जिसकी पालना में उप तहसीलदार खेरलीमण्डी ने हाजिर अदालत होकर अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 18.07.2023 को पेश की। उप तहसीलदार खेरलीमण्डी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि मौके पर खसरा नम्बर 160 वाके ग्राम कारोली में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा बताये अनुसार कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आवश्यकता है जिसमें जाने हतु सवसे नजदीकी रास्ता ग्राम कारोली की आबादी से होकर निकलता है जिससे खसरा नम्बर 160 वाके ग्राम कारोली पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 262, 201, 202, 203, 204, 176, 179, 161, 263, 200, 198, 197, 196 195, 180, 181, 255 वाके ग्राम कारोली में होकर दिया जाना कथन किया है इन खसरा नम्बरान के आगे प्रस्ताविक रकवा व डी एल सी के अनुसार कीमत भी अंकित की गयी है। रिपोर्ट में उप तहसीलदार खेरलीमण्डी ने प्रस्ताविक रास्ते का नज़री नक्शा भी दर्शित किया है जो संलग्न पत्रावली है। इस प्रस्तावित रास्ता भूमि की डी एल सी के अनुसार 176056 रूपया आंकी गयी है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व उप तहसीलदार खेरलीमण्डी की मौका रिपोर्ट मय नक्शा का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की वहस सुनी गई। कानून की मंशा के मुताविक प्रार्थी अपनी आराजी

अधिकारी
(अलवर) राज०

खसरा नम्बर 160 वाके ग्राम कारोली तहसील कठूमर में आने जाने हेतु मुताविक रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अप्रार्थीयान की आराजी में होकर डी एल सी दर पर 10 फुट रास्ता कायम कराने का अधिकारी पाया जाता है एवं प्रार्थना पत्र 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाता है तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नम्बर 160 वाके ग्राम कारोली तहसील कठूमर पर प्रार्थी को पहुँच मार्ग हेतु अप्रार्थीयान की आराजी खसरा नम्बर 262 में से रकवा 0.0100 हे0, 201 में से रकवा 0.0050 हे., 202में से रकवा 0.0050 हे., 203 में से रकवा 0.0049 हे., 204 में से रकवा 0.0055 हे., 176 में से रकवा 0.0098 हे., 179 में से रकवा 0.0110 हे., 161 में से रकवा 0.0040 हे, 263 में से रकवा 0.0104 हे0, 200 में से रकवा 0.0100 हे, 198 में से रकवा 0.0100 हे0, 197 में से रकवा 0.0052 हे, 196 में से रकवा 0.0046 हे0 195 में से रकवा 0.0047 हे0, 180 में से रकवा 0.0058 हे0, 181में से रकवा 0.0049 हे., 255 में से रकवा 0.0219 हे वाके ग्राम कारोली तहसील कठूमर भूमि 10 फुट चौडा रास्ता में आने वाली भूमि की प्रचलित बाजार दर की दोगुनी राशि प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थीयान को भुगतान करवाकर राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन किया जावे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार कठूमर को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

अतः यह आदेश आज दिनांक 28/07/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)